HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

मिशन शक्ति अभियान फेस–5.0 के अन्तर्गत महिला सम्बन्धी अपराधों के आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग लडकी से छेडछाड के मामले में एक अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/–रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 24-12-2025 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करने के मामले में 01 अभियुक्त को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

- दिनांक 11.11.2016 को अभियुक्त हसमत पुत्र रिफाकत निवासी डिबाई थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ के द्वारा नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पर मु0अ0सं0 540/2016 धारा 354क, 506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 17.02.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 24-12-2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/–रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री धीरसिंह एवं पैरोकार का0 अनुज व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 प्रशान्त पान्डेय का विशेष योगदान रहा।